न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 22/2013 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2013/00077

उनवान

1. दलेल सिंह पुत्र करन सिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम विधूरी का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।(मृतक)
   1/1. भीकाराम
   1/2. समुन्द्र सिंह
   1/3. जनक सिंह
   1/4. आशा
   1/5. गुड्डी
   } पिस0 स्व0 दलेल सिंह अकवाम गुर्जर निवासीगण ग्राम विधूरी का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मेहबूब खॉ } पुत्र हाफिजयार खॉ
2. मुजाइद खॉ }
3. शाहिद खॉ }
4. लुकमान खॉ } पुत्रगण उसमान खॉ
5. सुभान खॉ }
6. रहमत बेगम पुत्री उसमान खॉ
7. शमशा बेगम पुत्री उसमान खॉ
8. रोमान खॉ पुत्र उसमान खॉ

   } जाति मुसलमान निवासीगण मौहल्ला गुमट कस्बा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.02.2012(प्राथमिक डिक्री) एवं 23.07.2012(अन्तिम डिक्री) प्रकरण संख्या 30/2009 उनवान मेहबूब खॉ बनाम अख्तरी बेगम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी।

अभिभाषकगण :–

1. श्री विज्जोलाल शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री भगवती प्रसाद झॉ अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–27.01.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 29.02.12 (प्राथमिक डिक्री) व 23.07.2012(अन्तिम डिक्री) के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

अंकित विवादित आराजी वाके स्थित कस्बा बाडी नं0 1 में वादी एवं प्रतिवादी मुताबिक जमाबन्दी अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त हैं। विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। अतः पक्षकारान के मध्य फसल को लेकर आये दिन झगडा फसाद होता रहता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.02.2012 को प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2012 से अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त दोनों अपीलाधीन निर्णयो से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजा गया कोई भी सम्मन/नोटिस अपीलाण्ट पर सम्यक रूप से तामील नहीं हुआ परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत सम्मन की तामील हुये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया और समस्त कार्यवाही अपीलार्थी की बैक पर की गयी है। जिसकी कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हुयी। अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को अनदेखा करके अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रैस्पो0 लुकमान खॉ, सुभान खॉ, रहमत खॉ, शमशा बेगम व रोमान खॉ ने विवादित आराजी में से अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2001 को अपीलाण्ट के हक में विक्रय कर दिया था। जिसका नामान्तकरण भी दिनांक 15.09.2001 को अपीलाण्ट के हक में हो चुका है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेख के इस इन्द्राजात को अनदेखा करके डिक्री पारित की है। यह है कि रैस्पो0 01 लगायत 03 का विवादित आराजी में कोई हिस्सा नहीं होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको जमीन दी गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2018(3) पेज 1046 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील के साथ कोई वयनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि उन्होनें विवादित आराजी रैस्पो0 से क्रय की है तो अधीनस्थ न्यायालय में उक्त डिक्री को अपास्त करने हेतु चाराजोही कर सकते थे। मौके पर बॅटवारा हो चुका है। अपीलाण्ट को 02 विस्वा जमीन ज्यादा दी गयी है। यदि बॅटवारा गलत है तो इस बाबत् कोई दस्तावेजात क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला, झूठा है। क्योंकि अपीलाण्ट जानबूझकर दावा में उपस्थित नहीं हुये हैं। उनके खिलाफ कन्टेप्ट की कार्यवाही चली है एवं उसमें उन्हें 15 दिवस के कारावास की सजा हुयी है। दौराने बहस अखबार की प्रति भी पेश की गयी। इसके अलावा उनका यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की एक ही अपील प्रस्तुत की गयी है। जबकि दो पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। अतः अपील पोषणीय नहीं है। उनका यह भी कथन है कि पिछली पेशी पर बहस ना करने के कारण अपीलाण्ट को 500/– रूपये कोस्ट पर अग्रिम पेशी वास्ते बहस नियत की गयी थी। परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त कोस्ट अदा नहीं की है। इसलिये हुक्म अदूली के कारण भी अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य रहती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट की हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला एवं विवादित आराजी में से रैस्पो0 लुकमान खॉ, सुभान खॉ, रहमत खॉ, शमशा बेगम व रोमान खॉ ने अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2001 को अपीलाण्ट के हक में विक्रय कर दिया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध दिनांक 29.02.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। इस तथ्य बाबत् हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलाण्ट को जारी सम्मन/नोटिस का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादी/अपीलाण्ट का सम्मन उनके पुत्र समुन्द्रसिंह द्वारा लिया गया है एवं उक्त सम्मन पर तामील कुनिन्दा की स्पष्ट रिपोर्ट अंकित है। अतः अपीलाण्ट का यह कथन उन पर पर नियमानुसार सम्मन का निर्वहन नहीं हुआ, सत्यभाषी नहीं माना जा सकता है। अपीलांट स्वयं का दायित्व था कि न्यायालय की कार्यवाही से अपने आप को सूचित रखें। जहॉ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्ति की विवादित आराजी में से रैस्पो0 ने अपना हिस्सा अपीलाण्ट को जरिये वयनामा विक्रय कर दिया था, बाबत हम पाते हैं कि अपीलाण्ट ने उक्त वयनामा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत किया है एवं ना ही हस्तगत अपील में ही पेश किया है। जबकि न्यायालय हाजा में अपीलाण्ट द्वारा उक्त कथित वयनामा को प्रस्तुत करने हेतु आदेशिका दिनांक 16.01.2019 से समय की मॉग करने पर न्यायालय हाजा द्वारा उन्हें समय दिया गया है। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 16.01.2019 से निर्णय दिनांक तक प्रकरण में कुल 23 तारीख पेशियॉ एवं तीन साल का वक्त गुजरने के बाद भी वयनामा प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही कथित नामान्तकरण दिनांक 15.09.2001 ही प्रस्तुत किया है। अतः बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलाण्ट हस्तगत अपील से कोई रियायत पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा केवल तकनीकी आपत्तियो पर ही बहस की गयी है। विभाजन प्रस्ताव किस प्रकार गलत हैं, पर अभिभाषक अपीलाण्ट ने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.02.2012 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 23.07.2012 के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गयी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत, एक ही अपील पोषणीय नही मानी जा सकती है। प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत होनी चाहिए थी। इस स्थिति में भी अपील पोषणीय नहीं रहती है। दौराने बहस हम अभिभाषक रैस्पो0 की इस आपत्ति को भी नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं कि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाण्ट पर पेशी दिनांक 13.12.2021 को 500/– अक्षरे पॉच सौ रूपये रूपये कोस्ट लगायी गयी थी। उक्त कोस्ट को अपीलाण्ट ने अदा नहीं किया है। अपीलाण्ट का उक्त कृत्य न्यायालय के

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
भरतपुर कैम्प-डीग

आदेशो की अवहेलना की श्रेणी में आता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में एवं पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2012(प्राथमिक) एवं दिनांक 23.07.2012 (अन्तिम) यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.01.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–02/2017 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. दलेलसिंह पुत्र करनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम विधूरी का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर । (मृतक)

1/1. भीकाराम
1/2. समुन्द्र सिंह
1/3. जनक सिंह
1/4. आशा
1/5. गुड्डी

} पिस0 स्व0 दलेलसिंह अकवाम गुर्जर निवासीगण ग्राम विधूरी का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

...............अपीलांट।

बनाम

1. मेहबूब खॉ
2. मुजाईद खॉ
3. शाहिद खॉ

} पुत्र हाफिजयार खॉ

4. लुकमान खॉ
5. सुभान खॉ

} पुत्रगण उसमान खॉ

6. रहमत बेगम पुत्री उसमान खॉ
7. शमशा बेगम पुत्री उसमान खॉ
8. रोमान खॉ पुत्र उसमान खॉ

} (1 से 8) जाति मुसलमान निवासीगण मौहल्ला गुमट कस्बा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी।

.... रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 29.02.2012 (प्राथमिक डिक्री) एंव 23.07.2012 (अन्तिम डिक्री) प्रकरण संख्या 30/2009 उनवान मेहबूब खॉ बनाम अख्तरी बेगम।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री विज्जोलाल शर्मा अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री भगवती प्रसाद झॉ पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2012 (प्राथमिक डिक्री) एंव 23.07.2012 (अन्तिम डिक्री) यथावत रखे जाते है।**

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........27...........माह.........01........सन्..........2022......... को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत....भू-प्रबन्ध अधिकारी, पदेन....

औहदा....राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प-धौलपुर....